



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 चैत्र, 1945 (श०)

संख्या - 198 राँची, बुधवार,

29 मार्च, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

13 मार्च, 2023

संख्या-1/पी०-104/2022 का.- 1481--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश संख्या-22012/31/2017-AIS.I दिनांक-01.03.2018 द्वारा चयन वर्ष 2008ए के विरुद्ध राज्य असैनिक सेवा से भा.प्र.से. (झारखण्ड संवर्ग) में नियुक्त (deemed to have been appointed to IAS Cadre of Jharkhand) श्रीमती जयश्री झा के संदर्भ में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश संख्या-14014/20/2022-AIS.I दिनांक-28.03.2022 द्वारा इनकी पारस्परिक वरीयता/बैच के पुनर्निर्धारण के आलोक में वरीयता सूची में श्रीमती जयश्री झा से कनीय पदाधिकारी श्री समसोन सोय द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से भा.प्र.से. में प्रोन्नति के उपरान्त दिनांक

14.07.2012 को भा.प्र.से. में योगदान की तिथि को श्रीमती झा के संदर्भ में भा.प्र.से. में योगदान की तिथि मानते हुए श्रीमती झा को दिनांक 14.07.2012 के प्रभाव से वैचारिक रूप से सेलेक्शन ग्रेड के वेतनमान (तदेन वेतनमान रु० PB-4, Rs. 37400-67000/-, Grade Pay Rs. 8700/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।
